

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 245]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई 2020—श्रावण 9, शक 1942

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2020

क्र.-एफ-6-34-2004-उन्तीस-1.- अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 सहपठित 5 एवं भारत सरकार के उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति तथा सहकारिता विभाग) के आदेश क्रमांक एस.ओ. 680 (ई) एवं क्रमांक एस.ओ. 681 (ई) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ -

1. यह आदेश मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) निरसन आदेश, 2020 कहलायेगा.
2. इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.
3. यह मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

निरसन और व्यावृति -

1. एतद् द्वारा 11 अप्रैल 1980 को मध्यप्रदेश के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 2069-1018-1980/29-2 भोपाल, दिनांक 10-04-1980 को निरसित किया जाता है.

परंतु इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के पूर्व मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 के प्रावधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप सक्षम अधिकारी/अदालत के समक्ष प्रचलित प्रकरणों की सुनवाई एवं उनमें उत्तरवर्ती कार्यवाही पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. चन्देल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2020

क्र.-एफ-6-34-2004-उन्तीस-1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ 6-34/2004-29-1, दिनांक 31 जुलाई, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

Bhopal, the 31st July 2020

No.F-6-34-2004-XXIX-1.- In exercise of the powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 and S.O. No. 680(E) and S.O. No. 681 (E) issued by Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Civil Supplies and Co-Operation) of the Government of India, The State Government hereby makes the following Order, Namely :

**Title, Name and Commencement -**

1. This Order shall be named as, Madhya Pradesh Motor Spirit and High Speed Diesel Oil (License and Control) Repeal Order, 2020.
2. It extends to the whole of Madhya Pradesh.
3. It shall come in to force from the date of its publication in the Official Gazette of Madhya Pradesh.

**Repeal and Saving -**

1. The Notification No. 2069-1018-1980/29-2, Bhopal, Dated 10-04-1980 which has been published in the Gazette of Madhya Pradesh on 11th April 1980 is hereby repealed :-

Provided that, the pending registered cases, prior to the publication of this Notification before the competent authority/courts, for the violations of the provisions of Madhya Pradesh Motor Spirit and High Speed Diesel Oil (License and Control) Order, 1980 and subsequent proceedings therein shall have no effect of this Order.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
B. K. CHANDEL, Dy. Secy.